E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2023; 5(8): 45-48
Received: 01-07-2023
Accepted: 06-08-2023

सूरज कुमार पनिका
शोध छात्र, शिक्षा विभाग, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेस, सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. संतोष जगवानी
प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेस, सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
सूरज कुमार पनिका
शोध छात्र, शिक्षा विभाग, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेस, सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

सीधी जिले में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन

सूरज कुमार पनिका, डॉ. संतोष जगवानी

DOI: https://doi.org/10.33545/27068919.2023.v5.i8a.1033

सारांश
इस शोध पत्र के द्वारा अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। शोध क्षेत्र के प्रत्येक विकासखण्ड से न्यादर्श के रूप में चयनित सीधी जिले के सभी विकासखण्डों से 8–8 विद्यालय कुल 40 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया किया गया है। शोध क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 55.93 है तथा मानक विचलन 17.00 है। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 60.40 है तथा मानक विचलन 15.62 है। शोध क्षेत्र में 76.00 प्रतिशत अभिमतदाताओं का मानना है, कि अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

कुटशब्दः सीधी जिला, अनुसूचित जनजाति, बालिकाएं, शैक्षिक विकास, प्रोत्साहन योजनाएं

1. प्रस्तावना
शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर मानव यात्रा का नाम है। शिक्षा से मनुष्य के अन्तः चक्षु खुल जाते हैं। उसे आत्मिक तथा अलौकिक प्रकाश मिलता है। शिक्षा से सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। किसी भी राष्ट्र या समाज में जो उन्नति परिलक्षित होती है, वह उस राष्ट्र अथवा समाज की शिक्षा का प्रतिफल है तथा किसी समाज या राष्ट्र को अधोगति में जाना अशिक्षा का द्योतक है। शिक्षा द्वारा इस ज्ञान में वृद्धि होती है, जो पारस्परिक संबंधों के निर्धारण तथा व्यक्ति के विकास में सहायक है। अनुसूचित जनजाति में सामाजिक गतिशीलता का एक षैक्षिक अध्ययन है। यद्यपि समकालीन अनुसूचित जनजाति समुदाय जिस संक्रमणकालीन एवं बदलाव की स्थिति से होकर गुजर रहा है, इनमें सामाजिक परिवर्तन के चलते मूल संस्कृति विलुप्त होने के कगार पर है, पश्चिमी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव सम्पूर्ण भारतीय समाज के साथ ही जनजातियों पर पड़ा है, साथ ही संक्रमणकालीन स्थिति के लिए एक प्रमुख पक्ष विकास की भी समस्या है। आजादी प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं इनके सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं। इस नियोजित प्रयास के अतिरिक्त परिवर्तन की नवीन शक्तियां भी जनजाति समुदाय को प्रभावित कर रही है, सामाजिक परिवर्तन और विकास की इस नवीन सादृश्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय की निरंतरता, स्थायित्व एवं अस्थिरता का प्रश्न आदिवासी अध्ययन का केन्द्रीय विषय बन गया है। पूर्वकाल से ही अनुसूचित जनजातियां दीर्घ अवधि तक बाह्य सम्पर्क से वंचित रहे हैं, अब वे धीरे–धीरे पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता और समीपस्थ आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के सम्पर्क में आ रहे हैं जिससे जनजातियों में तेजी से सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ होकर गतिशील हो गई है। यद्यपि यह स्वाभाविक है कि उनके निकट के पड़ोसियों तथा आसपास की आर्थिक एवं सामाजिक प्रघटनाओं का उन पर प्रभाव अवश्य पड़ता होगा। पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक संचार के साधनों के विकास, प्रचार–प्रसार, परिवहन के साधनों का विस्तार तथा कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव के कारण आधुनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तनों का भी प्रभाव अपरिहार्य है। ऐसी स्थिति में उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन एक वास्तविकता है, भले ही उसकी दिशा दशा मे अन्तर व्याप्त हो क्योंकि भारत में जनजातियां भिन्न–भिन्न वंश, विभिन्न भाषा एवं परिवार भिन्न–भिन्न गोत्र के रूप में पायी जाती है, उनके भौतिक परिवेश एवं जैविक परिवेश में भी उतनी ही अधिक विविधता है। देश में जनजातियों की एक विशेष संस्कृति अपनी अलग ही जीवन शैली, रीति रिवाज व रहन–सहन का तरीका तथा विश्वासात्मक प्रतिमान है।

2. अध्ययन की आवश्यकता

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल सीधी जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के ग्रामीण व शहरी प्रारंभिक शिक्षा स्तर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा स्तर अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के लिए योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से विकसित करने से नामांकन दर पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा। रीवा संभाग का सीधी जिला आदिवासी प्रधान जिला है, जो शैक्षिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत पिछड़ा जिला है। विशेषकर बालिकाओं में शैक्षिक स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा की सफलता के लिए किये जा रहे सभी प्रयासो तथा उक्त सम्बर्ग के बालिका शिक्षा के समग्र विकास के लिए वास्तविक स्थिति का अध्ययन तथा उसमें वांछित सुधार हेतु सुझाव देने के लिए शैक्षिक शोध करने की आवश्यकता है।

3. उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया है:–

1. शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर पर का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।

4. शोध की परिकल्पनाएँ

परिकल्पना शोध समस्या एवं समस्या समाधान के बीच की कड़ी है। परिकल्पनाा से तात्पर्य है कि किसी भी समस्या के हल के बारे में पूर्वानुमान लगाना। परिकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, जो किसी सामान्य के संबंध में बना लिया जाता है और जिसकी सार्थकता की परीक्षा के लिए आवश्यक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् है:–

1. शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर पर कोई सार्थक अन्तर नही है।
2. शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

5. शोध समस्या का सीमांकन

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र जिला सीधी है। इसके अन्तर्गत 5 विकासखण्ड – सीधी, सिहावल, कुसमी, मझौली एवं रामपुर नैकिन है। अतः जिला अन्तर्गत स्थित अतः जिला अन्तर्गत स्थित प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। सीधी जिला का क्षेत्र व्यापक है, जिस कारण सभी प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए जिले के सभी विकासखण्डों से 8–8 विद्यालय कुल 40 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन द्वारा अध्ययन हेतु किया गया है।

6. शोध विधियाँ

शोध कार्य को संपूर्णता प्रदान करने हेतु कई प्रकार की शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। शोध विधियों के मुख्य प्रकार ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक है। शोध कार्य के अनुरूप प्रत्येक शोध विधि की अपनी विशेषताएँ एवं उपयोगिता है। शैक्षिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य मुख्य रूप से सर्वेक्षणात्मक (वर्णनात्मक) होगा। शोध अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

6.1 सर्वेक्षण विधि – प्राथमिक स्त्रोतों से प्रदत्तों के संकलन एवं पूर्व संचालित प्रदत्तो के सत्यापन हेतु शोध क्षेत्र के प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया है।

6.2 साक्षात्कार विधि : शैक्षिक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस विधि के द्वारा गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनो प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इस अनुसंधान में भी शोधार्थी ने साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया है।

6.3 सांख्यिकी विधि – प्रयुक्त शोध उपकरणों से प्राप्त प्रदत्तों के सारणीयन के उपरान्त आवश्यकतानुसार माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, दो चरों में सार्थक अन्तर के आंकलन हेतु मध्यमान विचलन, टी–परीक्षण जैसी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

शोध उपकरण

आंकड़े प्राप्त करने हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार प्रपत्र, प्रश्नावली पत्रक व अधिगम स्तर ज्ञात करने के लिए शैक्षिक उपलब्धि पत्रक का प्रयोग किया गया है।

7. न्यादर्श चयन

अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाओं को दिया जाता है। शोध कार्य को सार्थक करने के लिए न्यादर्श का चयन किया जाता है। न्यादर्श के रूप में चयनित सीधी जिले के सभी विकासखण्डों से 8–8 विद्यालय कुल 40 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया किया गया है। न्यादर्श के रूप में चयनित विद्यालयों से प्रधानाध्यापक, 2–2 शिक्षक कुल 80 शिक्षक, 2–2 अभिभावक, कुल 80 अभिभावक तथा प्रत्येक विद्यालय से 20 बालिकाएं कुल 800 का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है। इस प्रकार यह अध्ययन दोनों दृष्टियों से सैद्धान्तिक एवं अनुभवाश्रित परिपूर्ण होगा।

8. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव पर अध्ययन पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – आर्येन्दु, अखिलेश (2007)[1], कपिल, एच.के. (1996)[2], खुल्लर, के.के. (1988)[3], कौल, लोकेश (1998)[4], चतुर्वेदी, दीपा एवं तिवारी, डॉ.(श्रीमती) रंजना (2023)[5], पाठक, पी. डी. (1998)[6], सिंह, सोना एवं डॉ. जय सिंह (2019)[7] एवं प्रसाद, गोमती (2004)[8]।

9. शोध क्षेत्र का परिचय

सीधी जिला म.प्र. की राजधानी भोपाल से उत्तर पूर्वी दिशा में सड़क मार्ग से 635 किलो मीटर दूर है तथा रीवा संभाग के मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में 80 किलोमीटर पर जिला मुख्यालय स्थित है। जिला सीधी मूलतः पठारी व पर्वतीय प्रदेश है इसका

विस्तार 23°47′ से 24°42′ उत्तरी अक्षांश तथा 81°18′ से 82°49′ पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है।
जिला सीधी मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। यह प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिला, दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य का कोरिया जिला पश्चिम में शहडोल तथा सतना जिला एवं उत्तर में रीवा जिला स्थित है। जिले की समुद्र तल से निम्नतम ऊँचाई 243.84 मी. तथा उच्चतम ऊँचाई 609.60 मी. है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 10526 वर्ग कि.मी. है। यह जिला पूर्व से पश्चिम 155 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण 95 कि.मी. फैला हुआ है। क्षेत्रीयता की दृष्टि से यह जिला भारत के कुल भू–भाग का 0.37 प्रतिशत है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

परिकल्पना क्र. – 1 : "शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर पर कोई सार्थक अन्तर नही है।"

सारणी 1: शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

समूह		ग्रामीण	शहरी
समूह की संख्या (N)		400	400
मध्यमान (M)		55.93	60.40
मानक विचलन (SD)		17.00	15.62
क्रान्तिक निष्पत्ति ('t')		3.88	
निष्कर्ष	0.05 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	
	0.01 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	

$df = (N_1-1) + (N_2-1)$
$df = (400-1) + (400-1) = 399+399 = 798$

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी क्रमांक 1 मे न्यादर्श में चयनित शोध क्षेत्र में ग्रामीण एवचं शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर से सम्बधित प्रदत्त संकलित किये गये हैं। संकलित प्रदत्त प्राथमिक स्त्रोत पर आधारित है। सारणी में संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 55.93 है तथा मानक विचलन 17.00 है। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर में सार्थकता का औसत उपलब्धि 60.40 है तथा मानक विचलन 15.62 है।

798 df पर सार्थकता के लिए 't' का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.58 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1.96 है, जबकि अध्ययन से प्राप्त 't' का मान 3.88 है, जो कि दोनो विश्वास स्तरों के मानों से अधिक है। अतः शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर में सार्थक अन्तर है। अतः परिकल्पना क्र. 1 सत्यापित होती है।

परिकल्पना क्र. – 2 : "शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।"

सारणी 2: शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

क्र.	न्यादर्श में चयनित	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	न्यादर्श में चयनित संख्या	अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव					
				पड़ रहा है		नही पड़ रहा है		पता नही	
				संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.
1.	प्रधानाध्यापक	40	40	37	92.50	3	7.50	00	00
2.	शिक्षक	40	80	63	78.75	9	11.25	8	10.00
3.	अभिभावक	40	80	55	68.75	9	11.25	16	20.00
4.	बालिकाएं	40	800	605	75.63	83	10.38	112	14.00
योग		160	1000	760	76.00	104	10.40	136	13.60
काई वर्ग (χ^2)				$\chi^2 = 820.74$					
'पी' मान				0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक					

स्वतंत्रता के अंश 2
0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 5.99
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 9.21

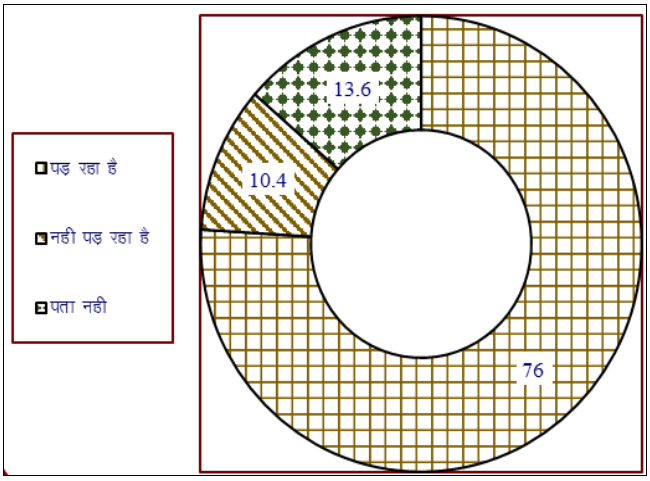

आरेख 1 : शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

विश्लेषण एवं व्याख्या

शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन प्रधानाध्यापक, अभिभावक साक्षात्कार पत्रक व शिक्षक, छात्र प्रश्नावली पत्रक के माध्यम से उपर्युक्त सारणी क्रमांक 2 में दर्शाया गया है। न्यादर्श के रूप में प्रत्येक विकासखण्ड से 8–8 प्रधानाध्यापक, 16–16 शिक्षक, 16–16 अभिभावक व 160–160 बालिकाओं पर उपकरणों को प्रशासित किया गया है।

शोध क्षेत्र के 92.50 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 78.75 प्रतिशत शिक्षक,75.63 प्रतिशत बालिकाएं व 68.75 प्रतिशत अभिभावकों के मतानुसार अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शोध क्षेत्र के 7.50 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 11.25 प्रतिशत शिक्षक, 10.38 प्रतिशत बालिकाएं व 11.25 प्रतिशत अभिभावकों के मतानुसार अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

शोध क्षेत्र के 10.00 प्रतिशत शिक्षक, 14.00 प्रतिशत बालिकाएं व 20.00 प्रतिशत अभिभावकों के मतानुसार अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के सम्बन्ध ज्ञात नहीं है।

इस प्रकार शोध क्षेत्र में 76.00 प्रतिशत अभिमतदाताओं का मानना है, कि अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इसी प्रकार तीनों समूहों के मध्य सांख्यिकीय दृश्टिकोण से सार्थक अन्तर है, क्योंकि गणना से प्राप्त 'काई' वर्ग का मान 645.47 आया है, जो कि 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर एवं स्वतंत्रता के अंश 2 पर सारणी के मान क्रमषः 5.99 एवं 9.21 से अधिक है। अतः उपर्युक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के अधिगम स्तर में सार्थक अन्तर है। शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

संदर्भ

1. आर्येन्दु, अखिलेश (2007) : प्राथमिक शिक्षा और सरकारी कार्य योजना, 'कुरूक्षेत्र', मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, वर्ष–53, अंक–11 पृ. –10–12.
2. कपिल, एच.के. (1996) : सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
3. खुल्लर, के.के. (1988) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई दिल्ली विज्ञापन एवं दृश्य प्रसार निर्देशालय.
4. कौल, लोकेश (1998) : शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली.
5. चतुर्वेदी, दीपा एवं तिवारी, डॉ.(श्रीमती) रंजना (2023) : "प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत बालक व बालिकाओं के अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन", International Journal of Multidisciplinary Trends; 5(5): 10-13.
6. पाठक, पी.डी. (1998) : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
7. सिंह, सोना एवं डॉ. जय सिंह (2019) : "अनूपपुर जिले में प्रारंभिक शिक्षा स्तर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन", International Journal of Advanced Research and Development, Volume 4; Issue 2; March 2019; Page No. 63-65.
8. प्रसाद, गोमती (2004) : ''रीवा संभाग की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक–बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन'' पी–एच.डी. (शिक्षा) अ.प्र.सिंह वि.वि. रीवा (म.प्र.).